Title: Request the government to make the stiff provisions for the smugglers in the Wild Life Protection Act.

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री एवं विधि मंत्री का ध्यान आकर्ति करना चाहूंगा कि करीब सौ-सवा सौ वर्ा पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन ऐक्ट बना था। उस समय उसमें सजा का प्रावधान बहुत कम किया गया था और ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट का प्रावधान किया गया था। आज इस देश में वन्य प्राणी धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में वन्य प्राणी नहीं के बराबर हैं और यही स्थिति रही तो एक दिन वन्य प्राणी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और वन्य प्राणी इस धरती से उठेंगे तो मनुय भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए इस कानून को और सख्त बनाने की आवश्यकता है। इसमें ट्रायल बाय सैशन्स जज का प्रावधान होना चाहिए और इसमें उम्र कैद की सजा हो ताकि धरती पर वन्य प्राणी सुरक्षित रह सकें। अभी हमारे देश में तस्करों की संख्या भी बढ़ रही है। वन्य प्राणियों की खालों की तस्करी हो रही है। इसको रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि तस्करों के खिलाफ सख्य कानून बने और उसमें फांसी की सज़ा का भी प्रावधान हो ताकि इस धरती पर वन्य प्राणी सुरक्षित रह सकें। आज स्थिति यह है कि राजस्थान में थोड़ी बहुत जगह पर ही वन्य प्राणी बचे हैं। हाल यह है कि पिछली 12 अगस्त को वन्य प्राणी की रक्षा करने में एक व्यकित ने अपने प्राण गंवा दिये। â€¦(व्यवधान)